बाल शिक्षा एवं स्वास्थ्य के मानवाधिकार पर कोविड-19 का प्रभाव : लखनऊ शहर के संदर्भ में सामाजिक एवं विधिक अध्ययन

बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी

उपाधि हेतु प्रस्तुत

सारांश

शोधकर्ता

दीपिका रानी

पंजीकरण संख्या: 082/16

शोध सह-पर्यवेक्षक

(डॉ.) राशिदा अतहर

एसोसिएट प्रोफ़ेसर,

मानवाधिकार विभाग,

विधि अध्ययन विद्यापीठ,

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

शोध पर्यवेक्षक

प्रोफ़ेसर (डॉ.) प्रीती सक्सेना

पूर्व विभागाध्यक्ष,

मानवाधिकार विभाग,

विधि अध्ययन विद्यापीठ,

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ

मानवाधिकार विभाग, विधि अध्ययन विद्यापीठ,

बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय, लखनऊ - 226025 (उत्तर प्रदेश), भारत

2023

सारांश

1. प्रस्तावना :-

लगभग दो वर्षों से अधिक समय से कोविड-19 महामारी ने दुनिया भर में अपने प्रकोप से सभी लोगों को प्रभावित किया है। वर्तमान प्रकोप का प्रभाव स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति पर ही नहीं, वरन् इसकी वजह से सभी राष्ट्रों का मनो-सामाजिक कल्याण भी अवरुद्ध हुआ है।

लॉकडाउन में आवाजाही पर प्रतिबन्ध की वजह से इसका सभी व्यक्तियों पर शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक प्रभाव पड़ा है । महामारी की वजह से सभी व्यक्तियों को अपनी जिन्दगी में बदलाव का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, क्योंकि बच्चे इस बदलाव को अपनी जिन्दगी में आत्मसात करने, उसे समझने व चुनौतियों का सामना कर पाने में भय का अनुभव कर रहे हैं।

अतः यह कहना गलत नहीं होगा कि बच्चे ही सबसे अधिक असुरक्षित हैं, क्योंकि वे किसी भी बदलाव को अपनी जिन्दगी में जल्दी से स्वीकार नहीं कर पाते है, ऐसे में हमारा कर्तव्य है कि हम बच्चों की कठिन समय में चुनौतियों से लड़ने में उनको सहायता व सुरक्षा प्रदान करें । क्योंकि किसी

राष्ट्र का विकास बच्चों के विकास पर ही निर्भर है, तभी कोई देश तरक्की कर सकता है ।

भारत एक विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी अत्यधिक है, गरीबी की वजह से अधिक आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में ही निवास करती है । ऐसे में कोविड-19 महामारी के आने की वजह से देश में एक भयावह स्थिति का माहौल बना है | बीमारी के संक्रमण को कम करने के लिए अचानक हुए लॉकडाउन का लाखों परित्यक्त और बेघर बच्चों पर गहरा असर पड़ा है। जिसकी वजह से सड़कों पर रहने वाले बच्चों, प्रवासी बच्चों व माता पिता की देखरेख से वंचित बच्चों पर हिंसा का खतरा बढ़ गया है।

महामारी का प्रभाव गरीब बच्चों पर अधिक देखने को मिल रहा है । आर्थिक संकट के कारण गरीब बच्चों को बाल तस्करी, जबरन मजदूरी, बाल-विवाह और शोषण आदि कार्यों में धकेले जाने का खतरा बढ़ गया है।

सामान्य तौर पर लॉकडाउन में स्कूलों के बन्द होने से अलगाव के कारण बच्चों में चिंता, भय और आक्रोश की भावना पैदा हो गयी है। जिसकी वजह से बच्चे शारीरिक, मानसिक व भावनात्मक रूप से प्रभावित हो रहे हैं। महामारी का प्रभाव केवल बच्चों के स्वास्थ्य तक ही सीमित नहीं है बल्कि यह बच्चों के जीवन, उनकी शिक्षा, सुरक्षा और गरीबी के कई आयामों तक फैल गया है।

स्कूल बन्द होने की वजह से ऑनलाइन शिक्षा का उपाय एक अच्छा उपाय भले ही हो, परन्तु यह पूर्णरूप से कारगर उपाय नहीं हो सकता है। गरीबी की वजह से सभी बच्चों की इस तक पहुँच सम्भव नहीं है। जिसकी वजह से जिन बच्चों की स्मार्टफोन तक पहुँच नहीं है, वे इससे अत्यधिक आहत हैं कि वे अपनी पढ़ाई कैसे करें | ऐसे में बच्चों में निराशा व उनका भावनात्मक मनोबल कम हो रहा है, जो कि उनके विकास के लिए अच्छा नहीं है।

महामारी के समय में बच्चों का अधिक लम्बे समय तक अपने दोस्तों, सहपाठियों और रिश्तेदारों से कोई संपर्क नहीं हो पाया। बाहरी खेल-कूद और समाजीकरण के लिए सीमित या कोई अवसर नहीं होने से भी बच्चों पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसकी वजह से वे बहुत ही जल्दी क्रोधित, निराश व ऊबने लगे हैं |

लगातार घण्टों तक ऑनलाइन क्लास लेने की वजह से वे अपना अधिक समय मोबाइल फोन, डिजिटल-डिवाइस व सोशल-मीडिया पर ही व्यतीत करने लगे हैं । जिसका असर उनकी शारीरिक गतिविधि पर पड़ रहा है।

महामारी की वजह से गरीब व कमजोर परिवारों के द्वारा अपने घर खर्च को कम करने के लिए अपने बच्चों का बाल विवाह करा रहे हैं।

महामारी के समय में माता-पिता को घर खर्च चलाने लिए काम के लिए अपने घरों से दूर रहना पड़ा, जिसकी वजह से वे अपने बच्चों पर अधिक ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जिसका फायदा कोई देखरेख करने वाला, पड़ोसी या कोई विश्वासपात्र व्यक्ति उठा सकता है, अतः: ऐसे में बच्चों पर यौन शोषण व दुर्व्यवहार का खतरा बढ़ गया है | महामारी में घर चलाने के लिए बहुत से माता पिता भी अपने बच्चों को बाल मजदूरी में धकेल रहे हैं, जिससे उनके शोषण का भी खतरा बढ़ गया है।

जिन बच्चों ने महामारी के कारण एक या दोनों माता-पिता को खो दिया है, वे बच्चे अत्यधिक असुरक्षित है । प्रियजनों के स्वास्थ्य और वित्तीय सुरक्षा के बारे में डर बच्चों पर भावात्मक रूप से भारी पड़ सकता है | ऐसे बच्चों को चिन्ता, अनिद्रा और भूख न लगना जैसे कई मनोवैज्ञानिक समस्याएँ हो सकती है |

ऐसे समय में स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, माता-पिता, तत्काल देखभाल करने वालों की एक बड़ी जिम्मेदारी है कि वे संकट में बच्चों की मदद करें | ऐसे समय में माता-पिता व देखभाल करने वालों को चाहिये कि वे शान्त रहकर बच्चों की भावनाओं को समझे, उनसे बात करें तथा बच्चों के व्यवहार पर निगरानी रखे |

जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों में दिन-प्रतिदिन वृद्धि होती जा रही है | जिस कारण उनकी सुरक्षा का खतरा भी बढ़ता जा रहा है | ऐसे में बच्चों को संरक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता है । बच्चों की सुरक्षा के लिये उन्हें कानूनी संरक्षण प्रदान करना अति आवश्यक है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतन्त्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्रदान की गई है ।

भारतीय संविधान के भाग-3 जो नागरिकों के मूल अधिकारों से सम्बन्धित है

- **अनुच्छेद-15(3)** में महिलाओं और बच्चों के कल्याण के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं।
- **अनुच्छेद-21** में मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार और शोषण से मुक्ति का अधिकार प्रदान किया गया है |
- **अनुच्छेद-21A** में बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्रारम्भिक शिक्षा का अधिकार|

- **अनुच्छेद-23** में शब्द "मानव का दुर्व्यापार" के अंतर्गत महिलाओं और बच्चों का अनैतिक व्यापार शामिल किया गया है |
- **अनुच्छेद-24** में 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित करने या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में एक बच्चे के रोजगार पर प्रतिबन्ध लगता है |
- **अनुच्छेद-38** राज्य बच्चों के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक कल्याण के लिए न्याय की स्थापना और संरक्षण करके लोक कल्याण में अभिवृद्धि करेगा ।
- **अनुच्छेद-39(e)** बच्चों को स्वतन्त्र और गरिमामय वातावरण में स्वास्थ्य, विकास के अवसर और सुविधायें दी जाये और बालकों एवं अल्पवय व्यक्तियों की शोषण से तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा की जाये ।
- **अनुच्छेद-41** राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर बच्चों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए काम पाने, शिक्षा और बेरोजगारी की दशाओं में प्रभावी उपबंध करेगा।

- **अनुच्छेद-42** राज्य काम की न्याय-संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करने के लिए गर्भावस्था के दौरान और बच्चे के जन्म के बाद प्रसूति माताओं के लिए उपबंध करेगा |
- **अनुच्छेद-47** पोषण और मानक का अधिकार ।
- **अनुच्छेद-51-A(K)** के अन्तर्गत 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर प्रदान करे ।

बच्चों को कानूनी अधिकार दिलाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में 20 नवम्बर, 1989 को महासभा द्वारा संयुक्त राष्ट्र ने, बाल अधिकारों पर अधिनियम, 1989 को अंगीकार किया गया ।

इस अधिनियम के अन्तर्गत 18 वर्ष से नीचे के प्रत्येक व्यक्ति को "बालक" माना जायेगा । भारत द्वारा यह अधिनियम 1992 को स्वीकृत किया गया, इसमें बालकों के संरक्षण के लिए मौलिक आवश्यकताओं को रखा गया है।

- **अनुच्छेद-3** बच्चों के सर्वोत्तम हित से सम्बन्धित है ।
- **अनुच्छेद-7** सभी बच्चों को राष्ट्रीयता का अधिकार प्रदान करता है ।
- **अनुच्छेद-8** राज्य पर बच्चे की रक्षा का दायित्व है ।
- **अनुच्छेद-13** अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
- **अनुच्छेद-17** सरकार बच्चों की भलाई तथा स्वस्थ्य से सम्बंधित उचित जानकारी प्रदान करने की व्यवस्था करेगी।

- **अनुच्छेद-19** सरकार बच्चों के दुरुपयोग और उपेक्षा से संरक्षण प्रदान करेगी ।
- **अनुच्छेद-28** प्रत्येक बच्चे की प्राथमिक शिक्षा का उपबंध करेगी |
- **अनुच्छेद-32** सरकार बच्चों को खतरनाक कार्य जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है या शिक्षा को नुकसान पहुंचाता है, से उनका संरक्षण करेगी ।
- **अनुच्छेद-34** राज्य बच्चों की बिक्री, बाल वेश्यावृत्ति और बच्चों के अश्लील साहित्य की बिक्री से रक्षा करेगी ।

भारत में बच्चों की के अधिकारों से सम्बन्धित निम्नलिखित क़ानून है:-

- **बाल विवाह निषेध अधिनियम, 1929**
- **अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956**
- **बालश्रम (प्रतिषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986**
- **बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006**
- **लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012**
- **किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2015**
- **बंधुआ मजदूर प्रथा निवारण अधिनियम, 1976**
- **गर्भ का चिकित्सकीय समापन अधिनियम, 1971**
- **मानव अंग प्रत्यारोपण अधिनियम, 1994**

- **प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994**

राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, यूनिसेफ, महिला एवं बाल विकास के द्वारा समय-समय पर जागरूकता अभियान भी चलाए जाते रहे हैं, ताकि उनको किसी भी प्रकार के शोषण से बचाया जा सके।

2. शोध की विषय वस्तु :-

भारत में कोरोना की अपेक्षाकृत कम दरों और साक्ष्यों के बावजूद भी यह चिंता बनी हुई है कि बच्चों को इसके प्रकोप से कैसे बचाया जाये ?

कोविड -19 महामारी का बच्चों पर बहुआयामी प्रभाव पड़ा है | इससे बच्चे मनोसामाजिक, मानसिक, शारीरिक और सांस्कृतिक रूप से ही प्रभावित नहीं हुए बल्कि इसकी वजह से बच्चों का जीवन, उनकी सुरक्षा, शिक्षा, और गरीबी जैसे कई आयामों को खतरा उत्पन्न हो गया है।

कोविड -19 एवं बच्चों की जनसंख्या :

क्योंकि भारत पूरे विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसमें विश्व की 17.7% प्रतिशत आबादी निवास करती है। भारत 253 मिलियन किशोर लड़कियों और लड़कों का घर है, जो देश की जनसंख्या का 20.09% प्रतिशत है ।[1]

[1] Unicef, " Country Office Annual Report, 2020" (March, 2021).

जैसा कि हम जानते हैं भारत एक विकासशील राष्ट्र है और यहाँ गरीबी आज भी अत्यधिक बड़ी समस्या बनी हुई है। **भारत अत्यधिक गरीबी में रहने वाले लगभग 385 मिलियन बच्चों में से 30% से अधिक का घर है । यह अनुमान है कि 5 प्रवासियों में से एक बाल श्रमिक है | महामारी से पहले भी 14 वर्ष से कम आयु के 20 मिलियन बाल प्रवासी बच्चे श्रम में लगे हुए थे |**[2]

कोविड-19 महामारी के प्रकोप के कारण लगभग 400 मिलियन श्रमिकों को गरीबी में गिरने का खतरा बढ़ गया है |[3]

कोविड -19 एवं बच्चों की शिक्षा :

महामारी के कारण स्कूलों के बन्द होने से उनमें चिन्ता, भय और आक्रोश की भावना पैदा हो गयी है। स्कूल बन्द होने की वजह से आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए ऑनलाइन शिक्षा को एक उपाय के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

जब महामारी के कारण पूरी दुनिया के स्कूलों को बन्द कर दिया गया था, बच्चे उससे पहले ही एक वैश्विक शिक्षा संकट का सामना कर रहे थे । **कम एवं मध्यम आय वाले देशों में 10 साल के बच्चों में से 50% बच्चे**

[2] Unicef, " Understanding Child Migration in India" (March ,2020).
[3] International Labour Organization, "COVID-19 and the world of work", 2ND Edn., Geneva, Switzerland, (April 2020).

प्राथमिक शिक्षा के अन्त में एक साधारण सी कहानी को लिख और पढ़ तक नहीं पाते हैं।[4] दुनिया के आधे से अधिक बच्चों में डिजिटल कनेक्टिविटी की कमी है, जो कि उनके दूरस्थ शिक्षा तक पहुँच को प्रभावित करता है | कोविड -19 महामारी ने गुणवतापूर्ण शिक्षा को डिजिटल डिवाइस और असमान पहुँच को सम्बोधित करने की तत्काल जरूरत को बढ़ा दिया है।

कोविड -19 महामारी के कारण एक अनुमान के अनुसार 23.8 मिलियन बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ सकता है।[5] **पूरे विश्व में कोविड -19 की वजह से लम्बे समय तक स्कूल बन्द रहने के परिणामस्वरूप लगभग 9 मिलियन प्राथमिक और माध्यमिक आयु वर्ग के बच्चों के स्कूल छोड़ने की उम्मीद है। जबकि भारत में यह आंकड़ा 7 मिलियन तक होने की उम्मीद है।**[6]

कोविड -19 एवं बच्चों का स्वास्थ्य :

महामारी की वजह से बच्चों को स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायों का भी सामना करना पड़ रहा है। लॉकडाउन के कारण कई बच्चों की लम्बे समय से दोस्तों, साथियों, सहपाठियों और रिश्तेदारों से संपर्क नहीं हो पाया है । बाहरी खेल और समाजीकरण के लिए कोई अवसर नहीं होने से भी बच्चों पर प्रतिकूल

[4] Report: Annual Report 2020, UNICEF, New York, June 2021
[5] Report: Annual Report 2020, UNICEF, New York, June 2021
[6] UNICEF, World Health Organization (WHO) and the United Nations Population Fund (UNFPA), UNICEF Kathmandu Nepal, "Direct and indirect effects of the COVID-19 pandemic and response in South Asia" UNICEF (March 2021).

प्रभाव पड़ सकता है, जिससे वे आसानी से ऊब, क्रोधित और निराश हो सकते हैं जिसका असर बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ा रहा है ।

महामारी का स्वास्थ्य एवं मृत्यु-दर पर प्रभाव अलग-अलग होता है और वह आयु पर भी निर्भर करता है ।

एक अध्ययन के अनुसार, जिसमें 2000 से अधिक बच्चों को सम्मिलित किया गया था, उनमें से लगभग आधे बच्चों में बुखार, थकान, खाँसी, दस्त के हल्के लक्षण पाये गये, जबकि उनमें से 1/3 से अधिक बच्चे मामूली तौर पर रूप से बीमार हुए, जबकि अतिरिक्त के साथ निमोनिया या फेफड़ों की समस्याओं सहित लक्षण, जिसमें से 6% बच्चे ही गम्भीर रूप से बीमारी पीड़ित हुए और केवल 1 बच्चों की मृत्यु हो गयी। शोधकर्ता के निष्कर्ष के अनुसार बच्चों में वयस्कों की तुलना में गम्भीर रूप से बीमार होने की सम्भावना काफी कम होती है, केवल कुछ बच्चों को ही आक्रामक उपचार की आवश्यकता होती है।[7]

इस प्रकार अधिकांश बच्चे, विशेष रूप से वे जो 5 वर्ष से अधिक आयु के हैं, उन बच्चों के स्वास्थ्य पर कोविड -19 महामारी का प्रभाव कम पड़ता है।[8]

[7] Dong, Yuanyuan, et al., *Epidemiology of COVID-19 Among Children in China* (American Academy Pediatrics, 1 June 2020).

[8] Report: Annual Report 2020, UNICEF, New York, June 2021

आँकडे इसकी पुष्टि करते हैं कि आर्थिक रूप से गरीब परिवारों में बच्चों की संख्या 2020 के अन्त तक बढ़कर 142 मिलियन हो चुकी होगी | पिछले एक वर्ष से 7 में से 1 बच्चा घर में लॉकडाउन की नीतियों के तहत घर में रह रहे है |[9]

खाद्य प्रणालियों, स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं में व्यवधान 44 मिलियन बच्चों को भूखा छोड़ सकता | आँकड़ों के अनुसार, 12 महीनों में 200,000 बच्चे मृत जन्म ले सकते हैं, क्योंकि महिलाओं की स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच की सम्भावना कम होगी |[10]

कम से कम 68 देशों में 1 वर्ष में लगभग 80 मिलियन बच्चे जीवन रक्षक टीके लेने से चूक सकते हैं |[11]

कोविड -19 के कारण 104 देशों में 1.8 अरब बच्चे तनाव, लाकडाउन और गरीबी के कारण गम्भीर बाल संरक्षण जोखिम में आ सकते हैं[12]**,** महामारी के कारण जहाँ हिंसा की रोकथाम और अन्य सेवाएं बाधित हो गई है।

कोविड -19 के कारण **दशक के अन्त तक 10 मिलियन, अतिरिक्त बाल विवाह हो सकते हैं,** जो कि सालों के विकास को बाधित कर सकते हैं |[13]

[9] Report: Annual Report 2020, UNICEF, New York, June 2021
[10] Report: Annual Report 2020, UNICEF, New York, June 2021
[11] Report: Annual Report 2020, UNICEF, New York, June 2021
[12] Report: Annual Report 2020, UNICEF, New York, June 2021
[13] Report: Annual Report 2020, UNICEF, New York, June 2021

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2020 में दक्षिण एशिया में भारत में सबसे ज्यादा **मातृ-मृत्युदर एवं 5 वर्ष से कम उम्र बच्चों की मौतों की संख्या में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है, रिपोर्ट के अनुसार कोविड -19 महामारी से अक्टूबर 2020 से सितम्बर 2021 के बीच लगभग 491,177 भारत में मौत होने का अनुमान है।**[14]

रिपोर्ट में कहा गया है कि यौन, प्रजनन, मातृ, नवजात स्वास्थ्य सेवाओं में महामारी की वजह से व्यवधान के कारण मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वृद्धि होने की उम्मीद है ।

पिछले वर्ष की तुलना में 2020 में 6 दक्षिण एशियाई देशों में 5 वर्ष या उससे कम उम्र के बच्चों की मृत्युदर में 228,641 की ज्यादा बढ़ोतरी होने की उम्मीद है | भारत में 154,020,15% प्रतिशत से वृद्धि होनी अनुमानित किया गया है ।

देश- स्तर पर भारत में मृत जन्मे शिशुओं की संख्या में 60,179 (10%) प्रतिशत तक वृद्धि होने की उम्मीद है |

[14] UNICEF, World Health Organization (WHO) and the United Nations Population Fund (UNFPA), UNICEF Kathmandu Nepal "Direct and indirect effects of the COVID-19 pandemic and response in South Asia" (March 2021).

इस तरह, इसके परिणामस्वरूप 2020 में मातृ मृत्यु की संख्या में भारत में अनुमानित मौतों की सबसे अधिक संख्या के 7,750 (18%) प्रतिशत वृद्धि होने की उम्मीद है |

उत्तर प्रदेश में संत कबीर नगर जिले में कोविड -19 महामारी का बाल एवं मातृ स्वास्थ्य सेवायों के प्रभाव पर अध्ययन किया गया था, जिसमें यह पाया गया कि कोविंड-19 **महामारी की वजह से लाकडाउन के कारण जो डिलीवरी हुई उनमें 2.26 % की गिरावट दर्ज की गई एवं आदर्श स्वास्थ्य सेवाओं में 22.9% गिरावट दर्ज की गई तथा टीकाकरण सेवाओं में 20% की गिरावट दर्ज की गई।**

लॉकडाउन के दौरान बाल शोषण, शोषण और हिंसा में भी काफी वृद्धि दर्ज की गयी है | हांलांकि इस मुद्दे पर सटीक आँकडे मिलना मुश्किल है, **हाल ही के अध्ययन और सर्वेक्षणों के अनुसार देश में लगभग 30 लाख यौनकर्मी हैं, जिनमें से 40% बच्चे अनुमानित किये गये हैं।**[15]

केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय चाइल्डलाइन हेल्पलाइन 1098 को 20 मार्च, 2020 से 10 अप्रैल, 2020 के बीच लॉकडाउन के समय में 21 दिनों के भीतर 460,00 कॉलों प्राप्त की गयी, जो की प्रतिदिन के हिसाब से 22,000 काले

[15] Report: Commercial Sexual Exploitation of Children International Justice Mission, Mumbai, 2016

प्रतिदिन था।[16] **'सेव द चाइल्ड' की रिपोर्ट** के अनुसार कोविड-19 महामारी **की पहली लहर में 6 अप्रैल, 2020 तक कॉलों की संख्या 50% अधिक रही है।**[17]

कोविड -19 एवं बाल-विवाह :

कोविड-19 महामारी के कारण आर्थिक स्थिति के मद्देनजर बाल विवाह का खतरा कमजोर परिवारों पर अत्यधिक प्रभाव डालता है । **2015-2016 के दौरान लगभग 27% महिलाओं की शादी अभी भी 18 साल से कम उम्र में हुई है।**[18] **'सेव द चाइल्ड'** का अनुमान है कि महामारी के कारण अगले **5 वर्षों में अतिरिक्त 13 से 25 लाख लड़कियों पर बाल विवाह का खतरा** है।

यूनिसेफ ने एंवेजिर हेल्थ, जॉन्स हॉपकिन्स यूनिवर्सिटी (संयुक्त राज्य) और विक्टोरिया यूनिवर्सिटी (आस्ट्रेलिया) के सहयोग से अनुमान लगाया कि 2020 और 2030 के बीच अतिरिक्त 13 मिलियन बाल विवाह होने की उम्मीद है।[19]

महाराष्ट्र में, राज्य के महिला एवं बाल विकास विभाग ने पिछले वर्ष की तुलना में सितम्बर 2020 तक बाल विवाह में लगभग 78% की वृद्धि

[16] UNICEF India, "Psychosocial Support for Children during COVID-19 A Manual for Parents and Caregivers" (New Delhi, 2021).
[17] Save the Children, "A Generation at Stake: Protecting India's children from the impact of COVID-19" (Gurugram, 2020).
[18] National Family Health Survey (NFHS-4), International Institute of Population Sciences, 2015-16
[19] Female genital mutilation and child marriage, UNFPA, "Impact of the COVID-19 pandemic on family planning and ending gender-based violence" (March 2020).

दर्ज की, यूनेस्कों ने खुलासा किया कि अप्रैल 2020 तक देशों में 1.5 बिलियन अधिक छात्र स्कूल बन्द होने से प्रभावित थे।[20]

यह भी अनुमान लगाया गया कि लगभग 10 मिलियन बच्चे महामारी के बाद कभी स्कूल नही लौट सकते हैं, जिसमें लड़कियों के बन्द होने की सम्भावना अधिक होती है ।[21]

पश्चिम अफ्रीका में इबोला के प्रकोप के साक्ष्य में बालश्रम, कम उम्र में विवाह, किशोर गर्भधारण और यौन शोषण में भारी वृद्धि देखी गई ।

सिएरा लियोन में, स्कूलों से उच्च ड्रॉपआउट दर के कारण कम उम्र में विवाह और किशोर गर्भधारण मे वृद्धि हुई ।

कोविड -19 एवं बाल मजदूरी :

दो दशकों में पहली बार, दुनियाभर मे काम पर लगाए जाने वाले बच्चों की संख्या बढ़कर 160 मिलियन हो गई है, जबकि चार वर्षों में 8.4 मिलियन की वृद्धि हुई है जबकि लाखों अन्य को कोविड -19 महामारी के कारण जोखिम है ।[22]

[20] UNESCO News: Published: 29th April 2020, available at https://en.unesco.org/news/13-billion-learners-are-stillaffected-school-university-closures-educational-institutions, (Accessed on June 25, 2021 at 12:40 a.m).

[21] Hindustan Times News Website: Published: 7th Oct 2020, available at https://www.hindustantimes.com/mumbai-news/amid-covid-19-pandemic-child-marriages-in-maharahtra-surge-by-78-as-families-reel-under-poverty/story-fo3hE2V72YiIj4Gn6wUs0N.html , (Accessed on June 26, 2021 at 11:40 a.m).

[22] Report: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, ILO and UNICEF, New York, 2021

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट में आगे जोर दिया गया है कि वैश्विक स्तर पर 70% प्रतिशत से अधिक बालश्रम परिवार, कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों में है ।[23]

ILO और UNICEF की रिपोर्ट इस चिंता का प्रतिनिधित्व करती है, जो कि यह बताती हैं कि कोविड -19 संकट बालश्रम के खिलाफ वैश्विक प्रगति को नष्ट करने की धमकी देता है, जब तक कि इसके तत्काल शमन के उपाय नहीं किये जाते हैं । **नए विश्लेषण से पता चलता है कि महामारी से प्रेरित बढ़ती गरीबी के परिणामस्वरूप 2022 के अन्त तक एक और 8.9 मिलियन बच्चे बालश्रम में होंगे ।**[24]

रिपोर्ट में आगे अनुमान लगाया गया है कि मध्य और दक्षिणी एशिया में 5-17 साल के भीतर 26.3 मिलियन बच्चे बालश्रम में लग जाते है। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई कि त्वरित कार्यवाही के बिना, विश्वस्तर पर, 2025 में करीब 14 करोड़ बच्चे बालश्रम में होगे और 2030 में 125 मिलियन बच्चे होंगे ।[25]

बालश्रम में 70% प्रतिशत बच्चे कृषि क्षेत्र में है, इसके बाद सेवाओं में 20% प्रतिशत और उद्योग में 10% प्रतिशत बच्चे हैं | [26]

[23] Report: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, ILO and UNICEF, New York, 2021
[24] Report: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, ILO and UNICEF, New York, 2021
[25] Report: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, ILO and UNICEF, New York, 2021
[26] Report: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, ILO and UNICEF, New York, 2021

5 से 11 वर्ष के लगभग 28% प्रतिशत बच्चे और 12 से 14 वर्ष की आयु के 35% प्रतिशत बच्चे स्कूल से बाहर है।[27]

बालश्रम हर उम्र में लड़कियों की तुलना में लड़कों में अधिक प्रचलित है, लेकिन जब प्रति सप्ताह 27 घण्टे घर के कामों को ध्यान में रखा जाता तो बालश्रम में लिंग अन्तर कम हो जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में बालश्रम 14% प्रतिशत है, जो शहरी क्षेत्रों में 5% से लगभग तीन गुना अधिक है।[28]

2011 की भारत की **जनगणना** के अनुसार, **5-14 आयु वर्ग के 10.1 मिलियन बच्चे बालश्रम या काम की तलाश में लगे हुए है।**[29]

ILO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की एक **संयुक्त रिपोर्ट** का अनुमान है कि **गरीबी में 14% की वृद्धि से बालश्रम में कम से कम 0.7% की वृद्धि होती है।**[30]

एक सर्वेक्षण में किए गए 818 बच्चों में से कामकाजी बच्चो के अनुपात में 28.2% से 79.6% की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।[31] मुख्य रूप से कोविड -19 महामारी और स्कूलों के बन्द होने के कारण बालश्रम के खिलाफ अभियान द्वारा किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि **CACL के राज्य संयोजक**

[27] Report: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, ILO and UNICEF, New York, 2021
[28] Report: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, ILO and UNICEF, New York, 2021
[29] Census of India, 2011
[30] Report: Child Labour: Global estimates 2020, trends and the road forward, ILO and UNICEF, New York, 2021
[31] Survey 'COVID-19: Reversing the Situation of Child Labour', By Campaign Against Child Labour (CACL), 2020

आर करुप्पुसमी ने "कोविड-19: रिवर्सिंग द सिचुएशन ऑफ चाइल्ड लेबर" शीर्षक से रैपिड सर्वे जारी किया | राज्य के 24 जिलों में बालश्रम तेजी से बढ़ा है। सर्वेक्षण सितम्बर और नवम्बर, 2020 के दौरान 6 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों का साक्षात्कार करके किया गया था।[32]

सर्वेक्षण से पता चला है कि कमजोर समुदायों में बालश्रम बढ़कर लगभग 280% प्रतिशत हो गया है। 'अनुसूचित जाति और अनुचित जनजाति' के बच्चों और निम्न आर्थिक पृष्ठभूमि के लोगों को महामारी के दौरान अपने परिवारों का आर्थिक रूप से समर्थन करने के लिए काम करना पड़ता था।[33]

सर्वेक्षण के अनुसार, 94% से अधिक बच्चों ने कहा है कि घर पर आर्थिक संकट और परिवार के दबाव ने उन्हें काम में धकेल दिया है ।[34] उनके अधिकांश माता-पिता ने अपनी नौकरी खो दी थी या महामारी के दौरान बहुत कम मजदूरी अर्जित की थी। कुछ प्रतिशत बच्चों का कहना है कि उन्होने स्मार्टफोन खरीदने के लिए काम करना शुरू कर दिया है।

कोविड -19 एवं अनाथ बच्चे :

ज्यादातर कोविड -19 महामारी के कारण 5 जून तक विभिन्न राज्यों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, 30,071 बच्चे अनाथ हो गए, माता-पिता

[32] Survey 'COVID-19: Reversing the Situation of Child Labour', By Campaign Against Child Labour (CACL), 2020
[33] Survey 'COVID-19: Reversing the Situation of Child Labour', By Campaign Against Child Labour (CACL), 2020
[34] Survey 'COVID-19: Reversing the Situation of Child Labour', By Campaign Against Child Labour (CACL), 2020

को खो दिया या छोड़ दिया गया, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय को यह सूचित किया।[35]

कुल 26,176 बच्चों ने माता पिता को खो दिया है, 3,621 अनाथ हो गए हैं और 274 बच्चों को छोड़ दिया गया है।[36]

शीर्ष अदालत द्वारा उठाए गए स्वतः संज्ञान मामले में दायर अपने हलफनामे में, एनसीपीसीआर (NCPCR-National Commission for Protection of Child Rights) ने कहा कि अन्य राज्य जहाँ बच्चे सबसे अधिक प्रभावित हैं, उनमे उत्तर-प्रदेश (3,272), राजस्थान (2,482), हरियाणा (2,438), मध्यप्रदेश (2,243) शामिल हैं। आंध्रप्रदेश (2,089) केरल (2,002), बिहार (1,634) और ओडिशा (1,073) |[37]

एनसीपीसीआर (NCPCR) ने कहा कि प्रभावितों में लड़के (15,620), लड़कियाँ (14,447) और ट्रांसजेडर (4) हैं, जिनमें से अधिकांश बच्चे 8 से 13 वर्ष की आयु (11,815) में आते हैं।[38]

[35] NDTV News Portal: Published: 7th June, 2021, available at https://www.ndtv.com/india-news/over-30-000-children-orphaned-lost-a-parent-or-abandoned-due-to-covi-19-child-rights-body-ncpcr-tells-supreme-court-2458398, (Accessed on June 27, 2021 at 10:46 a.m.).
[36] NDTV News Portal: Published 7th June, 2021, available at https://www.ndtv.com/india-news/over-30-000-children-orphaned-lost-a-parent-or-abandoned-due-to-covi-19-child-rights-body-ncpcr-tells-supreme-court-2458398, (Accessed on June 27, 2021 at 10:46 a.m.).
[37] NDTV News Portal: Published: 7th June, 2021, available at https://www.ndtv.com/india-news/over-30-000-children-orphaned-lost-a-parent-or-abandoned-due-to-covi-19-child-rights-body-ncpcr-tells-supreme-court-2458398, (Accessed on June 27, 2021 at 10:46 a.m.).
[38] NDTV News Portal: Published: 7th June, 2021, available at https://www.ndtv.com/india-news/over-30-000-children-orphaned-lost-a-parent-or-abandoned-due-to-covi-19-child-rights-body-ncpcr-tells-supreme-court-2458398, (Accessed on June 27, 2021 at 10:46 a.m.).

इसमें कहा गया है कि 0-3 वर्ष की आयु के बीच प्रभावित बच्चे 2,902 हैं, 4-7 वर्ष समूह 5,107 और 14 से 15 वर्ष के बीच 4,908 है। इसमें कहा है कि 16 से 18 साल से कम उम्र के बच्चों की संख्या 5,339 है।[39]

आयोग ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान हलफनामे में दिए गए कुल डेटा में 29 मई तक पहले से ही अदालत में जमा किया गए डेटा शामिल हैं, **जिसमें कहा गया था कि 9,346 बच्चों को छोड़ दिया गया, अनाथ हो गए या माता पिता को खो दिया गया। ज्यादातर कोविड -19 महामारी के कारण ।**[40]

कोविड -19 की तीसरी लहर एवं बच्चे :

भारत में बच्चों पर कोविड -19 की तीसरी लहर का प्रभाव दिखने लगा है।

उत्तराखण्ड के पहाड़ी राज्य में, कोविड -19 की तीसरी लहर में **राज्य में 0 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के बच्चों में कोविड -19 संक्रमणों में तेज वृद्धि दर्ज की है।**[41] यह अचानक वृद्धि राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के आधिकारिक आंकड़ों में परिलक्षित होती है।

[39] NDTV News Portal: Published: 7th June, 2021, available at https://www.ndtv.com/india-news/over-30-000-children-orphaned-lost-a-parent-or-abandoned-due-to-covi-19-child-rights-body-ncpcr-tells-supreme-court-2458398, (Accessed on June 27, 2021 at 10:46 a.m.).
[40] NDTV News Portal: Published: 7th June, 2021, available at https://www.ndtv.com/india-news/over-30-000-children-orphaned-lost-a-parent-or-abandoned-due-to-covi-19-child-rights-body-ncpcr-tells-supreme-court-2458398, (Accessed on June 27, 2021 at 10:46 a.m.).
[41] Gaon Connection News Portal: Published: 20th May, 2021, available at https://en.gaonconnection.com/uttarakhand-covid19-cases-children-third-wave-coronavirus-hospitals-cases-deaths/ , (Accessed on June 28, 2021 at 09:30 a.m.).

मार्च 2020 से मार्च 2021 की तुलना में 9 साल तक के बच्चों में कोविड -19 मामलों में 155 प्रतिशत (1.5 गुना) बढ़त आया है।[42] मार्च 2020 और मार्च 2021 के बीच, उत्तराखण्ड में एक वर्ष में बच्चों में कोविड -19 के कुल मामलों की संख्या 2,131 थी।[43]

भारत में तबाही मचा रही कोविंड-19 महामारी की, दूसरी लहर के बीच उत्तराखण्ड में अप्रैल से लगभग 3,000 बच्चों में नोवल कोरोनावाइरस संक्रमण पाया गया है।[44]

9 साल से कम उम्र के लगभग 1000 बच्चों ने राज्य में कोविड -19 के लिए सकारात्मक परीक्षण पाया गया है |[45]

1 अप्रैल, 2021 तक 0-9 वर्ष के बीच के कुल 2,134 बच्चे कोविड -19 से संक्रमित थे, जबकि 2 अप्रैल, 2021 से 14 मई, 2021 के बीच कुल 2,935 बच्चे संक्रमित हुए।[46]

---

[42] Gaon Connection News Portal: Published: 20th May, 2021, available at https://en.gaonconnection.com/uttarakhand-covid19-cases-children-third-wave-coronavirus-hospitals-cases-deaths/ ,(Accessed on June 28, 2021 at 09:30 a.m.).

[43] Gaon Connection News Portal: Published: 20th May, 2021, available at https://en.gaonconnection.com/uttarakhand-covid19-cases-children-third-wave-coronavirus-hospitals-cases-deaths/ , (Accessed on June 28, 2021 at 09:30 a.m.).

[44] Moneycontrol News Portal: Published: 17th May, 2021, available at https://www.moneycontrol.com/news/india/nearly-3000-children-in-uttarakhand-tested-positive-for-covid-19-from-april-6900361.html , (Accessed on June 28, 2021 at 11:30 a.m.).

[45] Moneycontrol News Portal: Published: 17th May, 2021, available at https://www.moneycontrol.com/news/india/nearly-3000-children-in-uttarakhand-tested-positive-for-covid-19-from-april-6900361.html , (Accessed on June 28, 2021 at 11:30 a.m.).

[46] The New Indian Express News Portal: Published: 16th May, 2021, available at https://www.newindianexpress.com/nation/2021/may/16/new-worry-uttarakhand-see-alarming-rise-in-covid-19-cases-among-children-2303352.html, (Accessed on June 28, 2021 at 12:40 p.m.).

यहाँ तक कि जब महाराष्ट्र कोविड -19 की दूसरी लहर से जूझ रहा है, राज्य इस बीमारी की संभावित तीसरी लहर के लिए तैयारी कर रहा है जिससे बच्चों को प्रभावित करने की आशंका है | रिपोर्टों के अनुसार, मई में राज्य के अहमदनगर में 8,000 से अधिक बच्चों के वायरस से संक्रमित होने से खतरे की घण्टी बज गई है । जिले में पाजिटिव मामलों में करीब 10% फीसदी बच्चों की हिस्सेदारी है |[47]

3. शोध साहित्य का अवलोकन :-

इस शोध कार्य को सम्पादित करने के लिए शोधकर्ता द्वारा संदर्भ साहित्य के सारांश को शामिल किया गया है | साहित्य की समीक्षा करने से शोधकर्ता को शोध समस्या को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है | शोधकर्ता द्वारा विभिन्न स्रोतों जैसे- किताबें, ई-बुक्स, जनर्ल, अखबार के लेख, पत्रिकाएं, साहित्य की समीक्षा करने, अध्ययन करने का प्रयास किया गया है | साहित्य की समीक्षा करके शोधकर्ता ने विभिन्न धारणाओं, शब्दावली और इस अध्ययन में किये गये शोध कार्य की अवधारणा द्वारा शोधकर्ता ने अध्ययन करने का प्रयास किया है | इस प्रकार, इस अध्ययन क्षेत्र से सम्बन्धित साहित्य के कार्यों का अध्ययन आगे बढ़ाने के लिए किया गया है |

[47] The Week News Portal: Published: 31st May, 2021, available at https://www.theweek.in/news/india/2021/05/31/maharashtra-third-wave-8000-kids-test-positive.html, (Accessed on June 28, 2021 at 14:40 p.m.).

इस प्रकार शोध समस्या से जुड़े सभी पहलुओं को समझकर शोध अध्ययन सही दिशा में किया जाता है | यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस शोध विषय का साहित्य बहुत कम है और सम्पूर्ण भी नहीं हैं |

- **Vulnerable Children and the Law: International Evidence for Improving Child Welfare, Child Protection and Children's Rights by Rosemary Sheehan, Helen Rhoades and Nicky Stanley (2012)**

यह पुस्तक बाल कल्याण में सुधार और बच्चों के अधिकारों को बनाए रखने के लिए वैश्विक समर्थन मजबूत करती है, लेकिन व्यवहार में अक्सर पारंपरिक बाल कल्याण प्रथाओं और बाल भेद्यता की विकसित प्रकृति के बीच उभरते अंतर को पहचानने में विफल रहती है।

यह पुस्तक बाल कल्याण पर एक अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य देती है, यह जांच करती है कि बच्चों के अधिकारों और सर्वोत्तम हितों को संबोधित करने के लिए वैश्विक और राष्ट्रीय ढांचे को कैसे अनुकूलित किया जा सकता है। नवीनतम अंतरराष्ट्रीय शोध का संश्लेषण करते हुए, विशेषज्ञ एक ऐसी दुनिया में 'जरूरतमंद बच्चे' की अवधारणा को फिर से परिभाषित करते हैं जहां वैश्विक आंदोलन आम है और बच्चे अक्सर कानून में शामिल होते हैं। यह पुस्तक बच्चों को नागरिक, शरणार्थी, तस्करी के शिकार, सैनिकों या स्वदेशी समूहों

के सदस्यों के रूप में मानती है और उन राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की पहचान करती है जो इन बच्चों को अधिकार प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। विशेष रूप से राष्ट्रों में बाल संरक्षण प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, यह बाल कल्याण और परिवार कानूनों के क्षेत्रों की पहचान करती है जो अक्सर पूर्वाग्रह, पुरानी प्रथा के माध्यम से बच्चों के सर्वोत्तम हितों की देखभाल करने में व्यवस्थित रूप से विफल होते हैं।

दुनिया भर में बच्चों के अधिकारों और कानूनों के बीच गठजोड़ की खोज करते हुए, यह पुस्तक कमजोर बच्चों की सुरक्षा में शामिल नीति निर्माताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं, वकीलों, शोधकर्ताओं और पेशेवरों के लिए आवश्यक पठन बन जाती है।

- **Vulnerable Children: Global Challenges in Education, Health, Well-Being, and Child Rights by Deborah J. Johnson, DeBrenna LaFa Agbényiga, Robert K. Hitchcock (2013)**

इस पुस्तक में गरीबी, बीमारी और युद्ध से त्रस्त दुनिया के क्षेत्रों में, लाखों बच्चे अदृश्य शिकार हैं, घर, परिवार और बुनियादी मानवाधिकारों से वंचित हैं। एक स्थिर वयस्क जीवन की उनकी संभावना बेहद कम है।

शक्तिशाली अंतःविषय खंड कमजोर बच्चे, संकटग्रस्त क्षेत्रों में और वहां के स्वदेशी, शरणार्थी और अल्पसंख्यक बच्चों के जीवन के लिए एक वैश्विक

बाल-अधिकार परिप्रेक्ष्य लाती है। आत्मनिर्णय, शिक्षा, सुरक्षा, स्वास्थ्य और संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, विद्वानों का एक अंतरराष्ट्रीय पैनल बच्चों की कमजोरियों के संरचनात्मक और राजनीतिक स्रोतों और विकास पर उनके प्रभावों की जांच करता है। पुस्तक वर्तमान में मौजूद हस्तक्षेप कार्यक्रमों का विश्लेषण करती है और उन चुनौतियों की पहचान करती है जिन्हें समुदाय और बड़े नीतिगत स्तरों पर पूरा किया जाना चाहिए। भेद्यता और लचीलेपन के बीच अक्सर धुंधली रेखा को समझाने के लिए ये अध्याय भी एक लंबा रास्ता तय करती हैं। इस पुस्तक में शामिल है :

- एक अफ्रीकी सांस्कृतिक संदर्भ में बाल कल्याण के अधिकार-आधारित दृष्टिकोण की दुविधाएं।
- अमेरिका में गरीबी और अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा: सूडानी शरणार्थी परिवार का केस स्टडी।
- केन्या और ब्राजील में छोटे बच्चों के अनुभवों की विविधता।
- एक मानसिक बीमारी वाले माता-पिता के बच्चों के लिए हस्तक्षेप का विश्व दौरा।
- नामीबिया में ओवाम्बो अनाथों के पालन-पोषण की खोज।
- कोलंबिया में यूनिसेफ: मीडिया, सार्वजनिक और नीतिगत प्रवचनों में बचपन की रक्षा और पोषण।

बाल और स्कूल मनोविज्ञान, सामाजिक कार्य, मातृ और बाल स्वास्थ्य, विकासात्मक मनोविज्ञान, नृविज्ञान, समाजशास्त्र, सामाजिक नीति सहित कई क्षेत्रों में शोधकर्ताओं, स्नातक छात्रों और चिकित्सकों / पेशेवरों / के लिए कमजोर बच्चे एक आवश्यक मात्रा है।

- **Child Rights in India: Challenges and Social Action by Geeta Chopra (2015)**

  यह पुस्तक बाल विकास के दृष्टिकोण से भारत में बाल अधिकारों पर एक व्यापक संग्रह है। यह उन चुनौतियों पर चर्चा करती है, जो भारतीय बच्चों को जीवित रहने, विकास करने और शिक्षा प्राप्त करने के लिए सामना करना पड़ता है, खासकर अगर वे विकलांगता, देखभाल की कमी और गरीबी के कारण अगर हाशिए पर हैं। अधिकारों के संबंध में लेखक द्वारा व्यक्त किए गए प्रमुख मुद्दे हैं- शिशु और बाल अस्तित्व, प्रारंभिक बाल विकास, सड़क पर काम करने वाले और कामकाजी बच्चे, कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे, विकलांग बच्चे, बाल तस्करी और बाल यौन शोषण। लेखक ने इस पुस्तक में उन कारणों की पड़ताल की है, जिनमें उच्च जनसंख्या, गरीबी, प्रवास, निरक्षरता, खराब कानून और गहरे सामाजिक मानदंड और व्यवहार शामिल हैं। यह पुस्तक इनमें से प्रत्येक मुद्दे के लिए भारत में मौजूदा नीति और कानूनी ढांचे को प्रस्तुत करती है।

- **Child Rights in India: Law, Policy and Practice by Asha Bajpai (2017)**

यह पुस्तक बच्चों को सशक्त बनाने वाले कानूनों में सबसे महत्वपूर्ण उपकरणों में से एक है। यह एक आदर्श और प्रगतिशील मूल्य प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हाल के वर्षों में बाल अधिकारों से संबंधित कानूनों , नीतियों और व्यवहारों में कई महत्वपूर्ण विकास हुए हैं। गौरतलब है कि 1989 में बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को अपनाने के साथ, अधिकार-आधारित दृष्टिकोण ने दुनिया भर में बाल अधिकारों के विमर्श में प्रमुखता हासिल कर ली है। यह पुस्तक न्यायालय के निर्णयों और भारत में की गई नीतिगत पहलों के आलोक में कानूनों का विश्लेषण करती है। यह बच्चों के समर्थन में विधायी सुधारों की सिफारिश करने में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा नियोजित हस्तक्षेपों और रणनीतियों की भी जांच करती है। यह पूरी तरह से संशोधित तीसरा संस्करण भारत में नए कानूनी विकास पर केंद्रित है- जैसे कि किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015; केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी के नए दिशानिर्देश; बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम,

2009, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013, इस प्रकार यह पुस्तक सिद्धांत और क्षेत्र व्यवहार में कानूनों को एकीकृत करने का प्रयास करती है।

4. <u>शोध का उद्देश्य :-</u>

संक्षेप में, शोधार्थी निम्नलिखित उद्देश्यों की जाँच करना चाहती है :-

- कोविड-19 महामारी के समय में बच्चों की शिक्षा पर पड़ रहे प्रभाव का अध्ययन करना।
- भारत में बच्चों के लिए बने मौजूदा कानूनों का अध्ययन करना |
- भारत में महामारी की वजह से बच्चों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना|
- भारत में कोविड-19 महामारी के कारण बच्चों के सम्पूर्ण वातावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करके, उनके लिए सुझाव देना |
- भारत में कोविड-19 महामारी के बाद बच्चों के लिए बने कानूनों का अध्ययन करके, यदि आवश्यक हो, परिवर्तन करने के लिये सुझाव देना |
- भारत में बच्चों के लिये बने कानूनों व अधिनियमों का अध्ययन करना।
- भारत में कोविड-19 महामारी के बाद बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों को रोकने के लिए उन्हें नयी चुनौतियों का सामना करने के लिए बेहतर ढंग से तैयार करना|

- वर्तमान में कोविड -19 महामारी में अन्य देशों में बच्चों की सुरक्षा के लिए बनाये गये नियमों व अपनायी गयी नीतियों का अध्ययन करना।
- कोविड-19 महामारी एवं बच्चों के प्रति होने वाले अपराधों के बीच अनुभविक आँकड़ों के माध्यम से सम्बन्ध स्थापित करना ।

5. <u>शोध का महत्व :-</u>

इस शोध के निम्न महत्व हैं :-

- कोविड-19 महामारी का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और उनके सम्पूर्ण वातावरण पर प्रभाव का अध्ययन करना ।
- वर्तमान में कोविड-19 महामारी की वजह से बदलते परिवेश की उभरती जरूरतों के लिए अनुकूल और भारत में बच्चों के साथ हो रहे अपराधों को कम करने के लिए देश की स्थितियों और दायरे का अन्वेषण करना।
- वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी के कारण, बच्चों के विरुद्ध बढ़ रहे अपराधों को कम करने के लिए त्वरित गति से उनके मामलों का निपटारा करने के लिए नयी नीतियों का निर्माण कर न्याय प्रदान करने का प्रयास करना ।
- मौजूदा कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना या फिर नए कानूनों को पारित करना।

6. <u>शोध परिकल्पना :-</u>

उपलब्ध साहित्यिक सर्वेक्षण के आधार पर शोधकर्ता निम्नलिखित परिकल्पना का परीक्षण करना चाहती है :-

- **भारत में कोविड-19 महामारी का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संपूर्ण वातावरण पर अत्यंत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है |**
- **बच्चों पर कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए वर्तमान कानून, नियम, उपकरण और तकनीकें आज के डिजिटल विश्व में पुरानी हो गयी हैं |**

7. <u>शोध पद्धति :-</u>

इस विषय के सम्बन्ध में, शोध को समझने के लिए गहन अध्ययन करने की आवश्यकता है जिसके लिए निम्न शोध पद्धतियों का उपयोग किया जायेगा :-

- **सैधांतिक शोध (Doctrinal Research)** का उपयोग भारत में कोविड-19 महामारी का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संपूर्ण वातावरण पर प्रभाव एवं बच्चों के खिलाफ अपराध एवं बाल शोषण को रोकने के लिए उपलब्ध कानूनों, नीतियों, प्रक्रियाओं आदि का विश्लेषण करने के लिए किया जायेगा |

- **अनुभविक शोध पद्धति (Empirical Research) का उपयोग करते हुए शोधार्थी द्वारा भारत के उत्तर- प्रदेश के शहर एवं जिला लखनऊ में कोविड-19 महामारी का बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और संपूर्ण वातावरण पर प्रभाव के बारे में अनुभविक आँकड़ो को एकत्रित करके सम्पूर्ण अध्ययन करने के लिए किया जायेगा |**

8. <u>अध्ययन की सीमाएं :-</u>

- इस अध्ययन की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इसमें शोधार्थी द्वारा कोविड-19 महामारी का सिर्फ बच्चों के ऊपर पड़ रहे प्रभाव का अध्ययन किया गया है |
- इस अध्ययन में वयस्कों एवं महिलाओं के ऊपर कोविड-19 के प्रभाव का अध्ययन नहीं किया गया है ।
- शोधार्थी द्वारा अनुभविक शोध उत्तर प्रदेश के शहर एवं जिला लखनऊ के सीमित दायरे में रहकर ही किया गया है | ऐसा शोधार्थी ने शोध के क्षेत्र को सीमित संसाधनों एवं उपलब्ध समय में करने के लिए किया है।

9. <u>अध्याय:-</u>

इस शोध को सात अध्यायों में विभाजित किया गया है | यह इसलिए किया गया है ताकि इस विषय का व्यापक विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सके :-

अध्याय 1: विषय परिचय

इस अध्याय में हम शोध परिचय पर परिचयात्मक टिप्पणी करते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर कर अध्ययन की रूपरेखा, अध्ययन के उद्देश्य और अपनायी गई कार्यप्रणाली और रूपरेखा पर सम्पूर्ण अध्ययन कर संक्षिप्त टिप्पणी की गयी है|

अध्याय 2: बाल अधिकारों का ऐतिहासिक विकास

इस अध्याय में हमने बाल अधिकारों का ऐतिहासिक विकास के बारे में बताया है जिसे हमने अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के राष्ट्रीय विकास के बारे में वर्गीकृत किया है।

बाल अधिकारों के अंतरराष्ट्रीय विकास को हमने 2 भागों में वर्गीकृत किया है प्राचीन युग व मध्ययुग और आधुनिक युग, प्राचीन युग व मध्य युग में हमने मिस्र, यूनान, रोम, ईसाई, अंधकार युग के बारे में वर्णन किया है जबकि आधुनिक युग में पुनर्जागरण काल, आधुनिक काल में 19वीं सदी के अंत और बीसवीं सदी की शुरुआत के बारे में वर्णन किया है।

भारत में राष्ट्रीय स्तर पर बाल अधिकारों के विकास को हमने दो भागों में वर्गीकृत किया है समय के आधार पर और धर्म के आधार पर। समय के आधार पर

हमने प्राचीनतम व मध्ययुग और आधुनिक युग के माध्यम से भारत में बाल अधिकारों के विकास का वर्णन किया है। वही धर्म के आधार पर हमने हिंदू मुस्लिम सिख और पारसी चार भागों के माध्यम से बाल अधिकारों के विकास के बारे में वर्णन किया है।

अध्याय 3: बाल अधिकारों के संबंध में अंतरराष्ट्रीय विधियां

इस अध्याय में हमने बाल अधिकारों से संबंधित अंतरराष्ट्रीय विधियों के बारे में वर्णन किया है। संपूर्ण विश्व में बच्चों को ईश्वर के उपहार के रूप में स्वीकार किया जाता है। समाज में बच्चे सबसे बड़ी मानवीय संपत्ति और मूल्यवान धन है। जिन्हें विशेष प्रकार की सुरक्षा व देखभाल की आवश्यकता होती है ताकि उन्हें समाज में व्याप्त कुरीतियों से संरक्षित किया जा सके। अतः मानवीय अधिकार अंतरराष्ट्रीय विधि का विषय है क्योंकि मानव अधिकार व्यक्ति की राष्ट्रीयता पर निर्भर नहीं करते तथा इनका संरक्षण किसी राज्य की अधिकारिता तक सीमित नहीं किया जा सकता है।

इस अध्याय में हमने बच्चों से संबंधित निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय विधियों के बारे में बताया है - अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन, 1919। जिनेवा घोषणा, 1924। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ), 1946। मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा,1959। सिविल एवं राजनीतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966। आर्थिक सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों की अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966

। बाल श्रम का न्यूनतम आयु सम्मेलन, 1973। बाल अधिकारों पर अभिसमय, 1989। बाल अधिकारों और कल्याण पर अफ्रीकी चार्टर, 1990। सभी के लिए शिक्षा का विश्व सम्मेलन, 1990। किशोरों को उनकी स्वतंत्रता से वंचित होने से बचाने के लिए संरक्षण, संयुक्त राष्ट्र नियम, 1990 (हवाना नियम)। बाल श्रम के सबसे बुरे रूप, 1999 (सं.182)| बच्चों के अधिकारों पर अभी समय का ऐच्छिक प्रोटोकोल-बच्चों के सशस्त्र संघर्ष में शामिल होने पर ,2000 । बच्चों की बिक्री बाल वेश्यावृत्ति हो बच्चों की कामोद्दीपक चित्र पर वैकल्पिक प्रोटोकॉल, 2002। बच्चों और सशस्त्र संघर्ष पर सुरक्षा परिषद 1612(2005)। बच्चों का अंतरराष्ट्रीय एवं अन्य रूपों के परिवार के भरण-पोषण का अभिसमय-23 नबम्बर, 2007। सामान्य टिप्पणी 9(2006): विकलांग बच्चों के अधिकार। बाल अधिकारों पर समिति सामान्य टिप्पणी नंबर 10(2007)। सामान्य टिप्पणी की संख्या 11(2009)- स्वदेशी बच्चे और अधिकारों पर समिति। सामान्य टिप्पणी संख्या 12(2009)- बच्चे की सुनवाई का अधिकार। बाल संरक्षण प्रणाली सम्मेलन, 2012 दिल्ली, भारत। We Protect Summit-Online,Child Sexual Abuse,Landon,United Kingdom,2015। विश्व स्वास्थ्य संगठन, 1948। विश्व स्वास्थ्य विनियम, 2005। अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल। महामारी पर एक अंतरराष्ट्रीय संधि। कोविड-19 महामारी का अंतरराष्ट्रीय बाल अधिकारों पर प्रभाव।

अंत में इस अध्याय में हमने बच्चों के अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव की अंतरराष्ट्रीय प्रस्थिति के बारे में बताया है।

वर्तमान समय में कोविड-19 महामारी ने लगभग 2 सालों से संपूर्ण विश्व में भयावह माहौल बना रखा है। इसने अब तक अधिकांश देशों और क्षेत्रों को प्रकाशित किया है विशेषकर इसका प्रभाव बच्चों और युवाओं पर स्थाई रूप से पढ़ रहा है। इसका बच्चों के ऊपर मनोवैज्ञानिक मानसिक वाह भावनात्मक शारीरिक और सांस्कृतिक व सामाजिक प्रभाव पड़ा है। महामारी की वजह से बच्चों के कई अधिकारों जिसमें शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार अभिव्यक्ति का अधिकार निजता का अधिकार स्वतंत्रता का अधिकार आदि का उल्लंघन हुआ है। विकासशील देशों में आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने की वजह से बच्चों को बाल श्रम बाल विवाह एवं शोषण व घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति उनके सर्वांगीण विकास में एक अभिशाप का रूप ले सकती है।

इस अध्याय में शोधार्थी ने कोविड-19 महामारी का बच्चों के अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रभावों को निम्नलिखित रुप से वर्गीकृत किया है । कोविड-19 महामारी का बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव । कोविड-19 महामारी का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी का बच्चों के जीवन एवं उत्तर जीविका के अधिकार पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी का बच्चों के बाल श्रम पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी

का बाल विवाह पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी का बच्चों के खिलाफ हिंसा शोषण और दुर्व्यवहार पर प्रभाव।

अध्याय 4: बाल अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय विधि

इस अध्याय में हमने बाल अधिकारों से संबंधित राष्ट्रीय विधियों के बारे में वर्णन किया है। बाल अधिकार बच्चों के मानवाधिकार हैं, जो नाबालिगों को दी जाने वाली विशेष सुरक्षा और देखभाल पर विशेष ध्यान आकर्षित करते हैं। जबकि अवयस्क के रूप में बच्चों के पास स्वयं निर्णय लेने की कोई शक्ति नहीं है। बच्चों से संबंधित निर्णय लेने का अधिकार उनके माता-पिता सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षक की युवा कार्यकर्ता और अन्य व्यक्तियों को प्राप्त है। बाल अधिकारों के संरक्षण से संबंधित विधियों अधिनियम विधान और न्यायिक घोषणा की राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भरमार है। इनमें से अधिकांश में सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित और उपेक्षित बच्चों के पुनर्वास और संरक्षण से संबंधित प्रावधान हैं। यद्यपि भारत के संविधान के तहत बच्चे शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है संविधान निर्माता इस तथ्य से अवगत थे कि बच्चों को उनकी शारीरिक और मानसिक अपरिपक्वता कारण विशेष उपचार की आवश्यकता होती है।

बच्चे राष्ट्र की बहुमूल्य संपत्ति हैं इसीलिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में यह प्रावधान है कि राज्य यह निर्देश देगा कि श्रमिकों पुरुषों और महिलाओं के स्वास्थ्य और ताकत और बच्चों की कोमल उम्र का दुरुपयोग ना हो तथा नागरिकों

का शोषण ना हो और उन्हें आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर ऐसे व्यवसाय में प्रवेश ना करना पड़े जो उनकी आयु और शक्ति के लिए अनुपयुक्त हो।

इस अध्याय में हमने बाल अधिकारों से संबंधित निम्नलिखित राष्ट्रीय विधियों के बारे में वर्णन किया है:-

(1) भारतीय संविधान के तहत प्रावधान।

(2) बाल श्रम से संबंधित कानून-

शिक्षु अधिनियम ,1961। सुधार विद्यालय अधिनियम, 1897। कारखाना अधिनियम, 1948। मद्रास बाल अधिनियम ,1920 । बॉम्बे चिल्ड्रन एक्ट, 1924। बच्चे (श्रम की प्रतिज्ञा) अधिनियम, 1933। बाल नियोजन अधिनियम, 1938। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 । वृक्षारोपण श्रम अधिनियम, 1951। खान अधिनियम, 1952। मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958। मोटर परिवहन कर्मचारी अधिनियम ,1961। बीड़ी और सिगार(रोजगार शर्तें)अधिनियम, 1960। बाल श्रम (विनियमन एवं निषेध) अधिनियम, 1986।

(3) स्वास्थ्य से संबंधित बाल अधिकार:-

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954। मातृत्व लाभ अधिनियम, 1961। गर्भावस्था की चिकित्सा समाप्ति (एमटीपी) अधिनियम 1971 (नियम, 1975)। जल प्रदूषण (रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम 1974। वायु(रोकथाम और नियंत्रण) अधिनियम, 1981| ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम,

2000। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम, 1987। शिशु दूध, दूध पिलाने की बोतले और शिशु आहार(उत्पादन आपूर्ति और विनियमन वितरण)अधिनियम, 1992। तकनीक(लिंग चयन का निषेध) अधिनियम, 1994। विकलांग व्यक्ति(समान अवसर अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995। सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का निषेध और व्यापार वाणिज्य उत्पादन आपूर्ति और विनियमन का विवरण) अधिनियम, 2003।

बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2006। राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम, 2013। किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 । किशोर न्याय (देखभाल और संशोधन) अधिनियम, 2021।

(4) शिक्षा से संबंधित कानून:- निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009।

(5) अन्य-

भारतीय अनुबंध के तहत प्रावधान । अपकृत्य विधि के अंतर्गत प्रावधान। भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रावधान।

(6) नीतियों, कार्यक्रमों और योजनाओं से संबंधित बाल अधिकार:-

(A) नीतियां:-

बच्चों के लिए राष्ट्रीय नीति, 1974, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1968, 1986, 2020, बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987, राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रीय पोषण 1993 , राष्ट्रीय

जनसंख्या नीति 2000, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2000, बच्चों के लिए राष्ट्रीय चार्टर 2003, राष्ट्रीय कार्य योजना, 2005 |

(B.) राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम

प्रतिरक्षण कार्यक्रम, 1978, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम ,1982, राष्ट्रीय आयोडीन की कमी विकार निमंत्रण कार्यक्रम ,1992 , राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) , राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)

(C.) योजनाएं

एकीकृत बाल विकास, 1975 (आईसीडीएस), बालिका समृद्धि योजना, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) 2005

अंत में इस अध्याय में हमने बच्चों के अधिकारों पर कोविड-19 के प्रभाव की राष्ट्रीय परिस्थिति के बारे में बताया है।

भारत में कोविड-19 संकट एक बाल अधिकारों पर संकट के रूप में सामने आया है। भारत 400 मिलियन से अधिक बच्चों का घर है। भारत का संविधान बच्चों को समान अधिकार धारकों के रूप में मान्यता प्रदान करता है तथा उसकी सुरक्षा और कल्याण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। इसलिए क्रमिक सरकारों ने समय-समय पर बाल केंद्रित कानूनों बाल संरक्षण कार्यक्रमों और योजनाओं को अधिनियमित और कार्यान्वित किया है। परंतु कोविड-19 महामारी ने बच्चों के स्वास्थ्य उनकी सुरक्षा और पढ़ाई पर एक सवाल खड़ा कर दिया है ऐसे में बच्चों के

लिए अधिक समय तक एवं सुरक्षित दुनिया की पुनर्रकल्पना पर ध्यान देना अति आवश्यक है।

इस अध्याय में शोधार्थी ने कोविड-19 महामारी का बच्चों के अधिकारों पर रात के प्रभावों को निम्नलिखित रुप से वर्गीकृत किया है। कोई नई महामारी का बच्चों की शिक्षा पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी का बच्चों के स्वास्थ्य पर प्रभाव। कोविड-19 महामारी का बाल श्रम पर प्रभाव। कोई 19 महामारी का बाल विवाह पर प्रभाव ग्र कोविड-19 महामारी का बच्चों के खिलाफ हिंसा शोषण और दुर्व्यवहार पर प्रभाव

अध्याय 5: कोविड-19 महामारी का बालकों पर प्रभाव लखनऊ शहर में शोध एवं आंकड़ों के माध्यम से अध्ययन

इस अध्याय में शुरुआत में लखनऊ शहर के बारे में एक संक्षिप्त परिचय दिया गया है।

अनुसंधान को वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके किसी विशेष चिंता या समस्या के बारे में अध्ययन के सावधानीपूर्वक विचार के रूप में परिभाषित किया गया है। अमेरिकी समाजशास्त्री अर्ल रॉबर्ट बेबी के अनुसार," अनुसंधान देखी गई घटना का वर्णन व्याख्या भविष्यवाणी और नियंत्रण करने के लिए एक व्यवस्थित जांच है। इसमें आगमनात्मक और निगमनात्मक विधियां शामिल हैं। शोधकर्ता ने गैर सैद्धांतिक शोध पद्धति को अपनाया। सिद्धांत एक अनुसंधान में पद्धति एक

प्रस्ताव को प्रारंभिक बिंदु के रूप में स्थापित करने के साथ शुरू होती है। विचाराधीन कानूनी प्रावधान या मौजूदा कानून को इस उद्देश्य का विश्लेषण करना हो सकता है। अगला कदम उस विशेष कानून को लाने के पीछे के उद्देश्य का विश्लेषण करना हो सकता है। गैर सैद्धांतिक अनुसंधान कानूनी अनुसंधान की दिशा में एक बहू विषयक दृष्टिकोण लेता है।

यह कानून के प्रति व्यापक दृष्टिकोण अपनाने के लिए अन्य विषयों से उपलब्ध विधियों और सूचनाओं को नियोजित करता है। प्राथमिक स्रोत में अवलोकन प्रयोग प्रश्नावली सर्वेक्षण आदि शामिल हो सकते हैं। इन स्रोतों की सहायता से हम कानून के व्यवहारिक पहलुओं का विश्लेषण करते हैं जैसे गैर कानूनी क्षेत्रों और पूरे समाज में इसके कार्यान्वयन के प्रभाव। मूल रूप से हमे कानूनी चर लेते हैं जो एक गैर कानूनी चर जैसे आर्थिक सामाजिक राजनीतिक आदि के साथ ए कानून हो सकता है और एकत्र किए गए डाटा द्वारा उनके संबंधों का अध्ययन करता है जो गुणात्मक या मात्रात्मक हो सकता है। इसका फोकस छेत्र यह है कि वार्षिक दुनिया में कानून कैसे काम करता है। शोधकर्ता ने लखनऊ नगर जिला उत्तर प्रदेश में प्रश्नावली द्वारा डाटा एकत्र किया है।

शोधार्थी ने कोविड-19 महामारी का बालकों पर प्रभाव का अनुसंधान करने के लिए प्राथमिक डाटा चार अलग-अलग प्रश्नावली के माध्यम से एकत्र किया है। जोकि निम्नलिखित :-

1. **प्रश्नावली 1: छात्र-छात्राओं के लिए प्रश्न ,लखनऊ में कोविड-19 महामारी का बच्चों पर प्रभाव**

   इस शोध में लखनऊ जिले के विभिन्न स्कूलों से 283 छात्र-छात्राओं ने भाग लिया। जिसमें 118 (41.7%) बच्चे 13 वर्ष की आयु के व 58(19.1) प्रतिशत बच्चे 12 वर्ष की आयु के तथा अन्य बच्चे 8 से 10 वर्ष की आयु के थे। इस सर्वेक्षण में हमने सरकारी निजी और अर्ध सरकारी स्कूलों के छात्र-छात्राओं के माध्यम से सर्वेक्षण किया। जिसमें 283 छात्र छात्राएं सम्मिलित हुए। जिसमें 73.5% बच्चे निधि स्कूलों के थे जबकि 26.1% बच्चे सरकारी स्कूलों के थे। इस सर्वेक्षण में 71 % बच्चे पुरुष वर्ग से व 29 % महिला वर्ग से सम्मिलित हुए।

2. **प्रश्नावली 2: विद्यालयों और स्कूलों के लिए प्रश्न, लखनऊ में कोविड-19 महामारी का बच्चों पर प्रभाव**

   इस सर्वेक्षण में हमने 57 अध्यापक कर्मचारियों का सर्वेक्षण किया जिसमें 15 (26.3%) प्रधानाचार्य थे व 10(17. 5%)सहायक अध्यापक तथा अन्य अध्यापक सम्मिलित हुए।

3. **प्रश्नावली 3 : माता -पिता / अभिभावक/ देखभाल करने वालों के लिए प्रश्न लखनऊ में कोविड-19 महामारी का बच्चों पर प्रभाव**

   इस सर्वेक्षण में हमने 55 अभिभावक देखभाल करने वालों में 63.6% पुरुष व 36.4% महिलाएं थी।

4. **प्रश्नावली 4 स्वास्थ्य: केंद्रों /अस्पताल पर स्वास्थ्य कर्मचारी व डॉक्टरों से किए गए जाने वाले प्रश्न लखनऊ में कोविड-19 महामारी का बच्चों पर प्रभाव**

   यह सर्वेक्षण में 53 डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मचारियों में से 58.5 % 30.2 % नर्स हैं।

अध्याय 6: बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका

न्यायपालिका अपने अनुभव और प्रेरक निर्णय के साथ सामाजिक न्याय का आधार रही है और अगर बच्चों को सुरक्षा प्रदान नहीं की जा सकती है तो किसी भी राष्ट्र का भविष्य एक मिथक बना रहेगा।

संवैधानिक और विधिक प्रावधानों के संग्रह के साथ न्यायपालिका ने बच्चों के शोषण के खिलाफ समय-समय पर कदम उठाया तथा भारत द्वारा की गई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं के अनुरूप बच्चों को पूर्ण संरक्षण दिया गया।

न्यायपालिका को व्यवस्था की सीमाओं को लहंगे बिना कानूनों के विकास में योगदान देना होता है |

यह न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह कार्यवाही के विकास को मान्यता दें और उन पदों के स्थापित सिद्धांतों को लागू करें जो राष्ट्र अपनी प्रगति पर समय-समय पर ग्रहण करता है। बाल-कल्याण को बढ़ावा देने में भारत में न्यायपालिका की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायमूर्ति सुब्बाराव ने ठीक ही टिप्पणी की कि- "सामाजिक कोमल पौधे को ठीक से पोषित किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें मजबूत और उपयोगी पेड़ बनने की बहुत कम संभावना है। इसलिए बच्चों के कल्याण के लिए पहली प्राथमिकता है।"

इसी भावना से सर्वोच्च न्यायालय ने इस तथ्य पर जोर दिया है कि सामाजिक न्याय का महत्वपूर्ण कार्य बच्चे की देखभाल करना है क्योंकि उनमें उनमें भविष्य की आशा निहित है। इस अध्याय में संविधान की भावना के अनुसार बच्चों की स्थिति में सुधार के लिए एक प्रभावी साधन के रूप में बाल कल्याण के लिए न्यायिक प्रतिक्रिया का आकलन करने का प्रयास किया गया है। इसमें हमारा उद्देश्य यह जांचने का है कि न्यायिक प्रक्रिया ने किस हद तक भारत में बच्चों की स्थिति के संबंध में कानूनी और न्यायिक सक्रियता की व्याख्या में सामाजिक परिवर्तनों में सहायता या बाधा उत्पन्न की है।

इस अध्याय में शोधार्थी ने बच्चों के अधिकारों के संरक्षण में न्यायपालिका की भूमिका को वादों के माध्यम से 7 भागों में विभाजित किया है।

1.)बच्चों की शिक्षा का अधिकार एवं न्यायपालिका

2.)बाल : न्यायपालिका द्वारा मानवीय दृष्टिकोण

3.)यौन शोषण और न्यायपालिका

4.)देखभाल , पुनर्वास और न्यायपालिका

5.)न्यायपालिका द्वारा बच्चों का रखरखाव और बाल कल्याण

6.)न्यायपालिका और बच्चे की हिरासत

7.)दत्तक ग्रहण और न्यायपालिका